फर्द अहकाम

(नियम 26)

जस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2024/508 बअनवान मांगीलाल बनाम फाउलाल उर्फ मुकेश भाई वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
23/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री ओमप्रकाश दवे उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 से 4 के अधिवक्ता श्री मूल सिंह यादव उपस्थित। अप्रार्थी स0 5 राज पेरोकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा न0 595, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627 कुल खसरा 9 कुल रकबा 2.96 हैक्टर प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 से 4 के संयुक्त सहखातेदारी की भूमि स्थित है। जिसके विभाजन का वाद पेश किया हुआ है तथा दौरान ए बहस दोनो पक्षो के अधिवक्तागणों ने माना है कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवारा हो चुका है जिससे वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश में किसी प्रकार का दखल दिया जाना न्यायसंगत नही हैं। बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकुलाय प्रकरण सहखातेदारों के मध्य विभाजन का होने तथा दोनो पक्षो द्वारा मौके पर बटवारा होने के तथ्य को स्वीकार करने से भूमि वादग्रस्त होने से ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा न0 595, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627 कुल खसरा 9 कुल रकबा 2.96 हैक्टर के मौका की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक कायम रखे जानें की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner